

संख्या- 2873 /15-7-161471/99

प्रेषक,

रघुविर सुन्दर अग्निहोत्री,  
संयुक्त शिक्षक,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षक,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा ब्लॉक-2, संयुक्त अ.प्र.,  
प्रोग्रेस विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुमान

दिनांक: 30 अगस्त, 2000

विषय:- सेंट प्रेरीय क्रिश्चियन स्कूल साहिबाबाद गार्जियाबाद को सी.बी.सी.ई.ओ. नई दिल्ली से संबन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

संदर्भ,

उपर्युक्त विषय पर संश्लेषण करने का निर्देश प्राप्त है कि सेंट प्रेरीय क्रिश्चियन स्कूल साहिबाबाद गार्जियाबाद को सी.बी.सी.ई.ओ. नई दिल्ली से संबन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में एक राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय को प्रस्तावित सी.बी.सी.ई.ओ. का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा
- 121 विद्यालय की प्रत्येक सामिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में एक से कम एक प्रतिष्ठा स्वयं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षा रहने और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न छात्रों के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार के किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा वैदिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उस केन्द्रीय परिषदों की संयुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था अधिक एवं शिक्षकता कर्मचारियों को राजकीय तहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भातों से कम वेतनमानों तथा अन्य भातों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा नहीं बनायी जायेगी और उन्हें तहायता प्राप्त अत्याधुनिक उपकरण माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचित सेवा निर्धारित का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा ।

28/8/2000  
28/8/2000

*Man-Using Ram*  
MANAGER  
St. Mary's Christian School  
A-Block, Shalimar Garden Extn. II  
Sahibabad, Ghaziabad  
U.P.-201005

*[Signature]*  
Principal  
St. Mary's Christian School  
'A' Block, Shalimar Garden Extn.-II  
Sahibabad, Ghaziabad (U.P.) 201005

- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्देश दिये जायेंगे, उनका पालन करेंगे।
- 181 विधानसभा का रिजॉल्यूशन प्रयत्न/संशोधनों में रखा जायेगा।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिमर्दन नहीं किया जायेगा।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संसदीय के लिये अनिवार्य होगा और यदि इस शर्तों के अन्तर्गत पालन जाता है कि संसदीय द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है मध्यमा पालन करने में किसी प्रकार की पूरक या शिथिलता करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त जनसम्पत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

। स्याम सुन्दर उमिनहोत्री ।  
संयुक्त सचिव ।

पुं०सं०-२८७३ १११/१५-७-२०१०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुपचार्य एवं आचार्य कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- भारतीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ।
- 3- शिक्षा विधानसभा निरीक्षक, गाजियाबाद।
- 4- सहायक निरीक्षक अंतरिम भारतीय विधानसभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- प्रोफेसर, सेंट मैरीस डिप्लोमा स्कूल साहिबाबाद गाजियाबाद।
- 6- माहें लखनऊ।

आशा है,

। स्याम सुन्दर उमिनहोत्री ।  
संयुक्त सचिव ।

*Jog - Vijay Sharma*  
MANAGER  
St. Mary's Christian School  
A-Block, Shalimar Garden Extn.II  
Sahibabad, Ghaziabad  
U.P.-201005

*[Signature]*  
Principal  
St. Mary's Christian School  
'A' Block, Shalimar Garden Extn.-II  
Sahibabad, Ghaziabad (U.P.) 201005